

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-1/2018/

दिनांक:

-:आदेश:-

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	प्राप्त कर रहे पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे-मैट्रिक्स लेवल
1.	श्री गोपाल राम सिंघल, नर्स प्रथम	जयपुर	22.01.91	22.01.18 27 वर्ष	L-13	L-14
2.	श्री शिवदत्त उपाध्याय, नर्स प्रथम	जयपुर	26.12.90	26.12.17 27 वर्ष	L-13	L-14
3.	श्रीमति बीना देवी चरपोटा, नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	24.01.91	24.01.18 27 वर्ष	L-13	L-14

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

उक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 01/06/18

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-1/2018/320

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जयपुर/उदयपुर।
2. निदेशक, पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर